

गौशालाओं और वाटर यूजर एसोसिएशन को अनुदान पर दिये जायेंगे सोलर पंप

चर्चा में क्यों?

7 नवंबर, 2023 को हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की गौशालाओं और वाटर यूजर एसोसिएशन को भी सोलर पंप अनुदान पर दिये जायेंगे। इसके लिये 14 नवंबर, 2023 तक आवेदन किया जा सकता है।

प्रमुख बंदि

- प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर कृषिगतविधियों को बढ़ावा देने के लिये केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सचिाई के लिये 3 एच.पी. से 10 एच.पी. तक के सौर ऊर्जा पंप पर 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
- उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अब तक 64,902 सौर ऊर्जा पंप लगाए जा चुके हैं और 26,798 पंपों की स्थापना का कार्य चल रहा है। इस योजना को क्रियान्वति करने में हरियाणा देश में द्वितीय स्थान पर है तथा विभाग द्वारा वति वर्ष 2023-24 में 70,000 पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
- प्रवक्ता ने बताया कि 1 एच.पी. से 10 एच.पी. तक के वर्ष 2019-2021 के लंबति इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल कनेक्शन भी सोलर पर दिये जायेंगे। इसके अलावा गौशालाओं और वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सचिाई सिस्टम को भी सचिाई के लिये 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिये जायेंगे।
- इस चरण में इच्छुक किसानों से 7 नवंबर, 2023 तक [saralharyana.gov.in](https://www.saralharyana.gov.in) पोर्टल पर आवेदन मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 नवंबर, 2023 कर दी गई है।